राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–2) विभाग

क्रमांकः प. 4(2) कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 पार्ट जयपुर, दिनांकः 04/02/08

परिपत्र

विषयः– वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभाव में विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा आस्थगित (डैफर) प्रकरणों के संबंध में रिव्यू डीपीसी की कार्यवाही बाबत।

विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा कार्मिकों के पर्याप्त सेवा अभिलेख के अभाव में आस्थगित पदौन्नति प्रकरणों पर सेवा अभिलेख पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक पुनः आयोजित किये जाने हेतु विभाग की सहमति लिए जाने हेतु प्रकरण कार्मिक विभाग को भेजे जाते हैं। सहमति यह मानते हुए मांगी जाती है कि यह विभागीय पदौन्नति समिति की पूर्व अभिशंषा के पुनर्विलोकन का मामला है जबकि विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा इन पदौन्नति प्रकरणों में गुणावगुण के आधार पर न तो विचार किया गया है और ना ही कोई निर्णय लिया गया होता है। ऐसे प्रकरणों में पुनर्विलोकन का कोई बिन्दु नहीं है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि आस्थगित पदौन्नति प्रकरणों के संबंध में विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा विचार करने से पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकरण कार्मिक विभाग की सहमति हेतु नही भेजे जावे।

(संजय मल्होत्रा)
शासन सचिव, कार्मिक

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्मिक विभाग।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

03/08